

# कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद बरेली।

पत्रांक: जिला-01/अभि0/पी0ओ0/12/265

दिनांक: 05-08-2015

सेवा में,

पुलिस उपमहानिरीक्षक अभियोजन,  
अभियोजन निदेशालय उ0प्र0,  
लखनऊ।

विषय:- संघ लोक सेवा आयोग, नयी दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा में राष्ट्रीय जॉच एजेन्सी में लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यमुक्त करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अभियोजन निदेशालय उ0प्र0 के पत्रांक: एक-दो-136-2004(13)/3543/15 दिनांक: 5 अगस्त 2015 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2066/छ:-पु0-9-15-31(65)/2015 दिनांक: 31 जुलाई 2015 द्वारा निर्देशित किया गया है कि अभिषेक कुमार बगडिया अभियोजन अधिकारी को राष्ट्रीय जॉच एजेन्सी में लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

उपरोक्त के अनुपालन में श्री अभिषेक कुमार बगडिया, अभियोजन अधिकारी वर्तमान तैनाती जनपद बरेली को आज दिनांक: 05-08-2015 को अपरान्ह में कार्यमुक्त किया जाता है। कार्यालय के आख्या के अनुसार श्री अभिषेक कुमार बगडिया के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं है और न ही कोई विभागीय देयक अवशेष हैं। श्री अभिषेक कुमार बगडिया द्वारा प्राप्त शासकीय सम्पत्ति कितावें, लैपटॉप, सी0यू0जी0 सिम तथा इन्टरनेट मौडेम आदि अभियोजन निदेशालय लखनऊ में दिनांक: 21-07-2015 को जमा कर सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित की थी।

संयुक्त निदेशक अभियोजन,  
जनपद बरेली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- जिलाधिकारी बरेली।
- 2:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
- 3:- अपर निदेशक बरेली परिक्षेत्र बरेली।
- 4:- मुख्य कोषाधिकारी बरेली।
- 5:- श्री अभिषेक कुमार बगडिया, अभियोजन अधिकारी, बरेली।

संयुक्त निदेशक अभियोजन,  
जनपद बरेली।  
संयुक्त निदेशक अभियोजन  
बरेली